

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

प्रमुख सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

नगरीय निकाय,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक : 27 मार्च, 2018

विषय- प्रदेश के नागर निकायों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था के अन्तर्गत लगाई जाने वाली एल०ई०डी० लाइटों/ल्यूमिनेयर की गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देश में संशोधन।

महोदय,


उपर्यक्त विषय के सम्बन्ध में पूर्व में शासनादेश संख्या-227/2015/1689/ नौ-8-16-96ज/2015 दिनांक 20 नवम्बर, 2015, शासनादेश संख्या-03/2016/29/नौ-8-16-96ज/2015 दिनांक 04 फरवरी, 2016 एवं शासनादेश संख्या-120/2016/2194/नौ-8-16-96ज/2015 दिनांक 03 सितम्बर, 2016 निर्गत किये गये हैं, जिसमें प्रदेश के नागर निकायों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था के अन्तर्गत लगाई जाने वाली एल०ई०डी० लाइटों/ ल्यूमिनेयर की गुणवत्ता एवं मानकों के लिए आई०एस०आई० मार्क होना अनिवार्य किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में एल०ई०डी० लाइटों में आई०एस०आई० मार्क का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि उसके स्थान पर एल०ई०डी० लाइट मैनेजरी सर्टीफिकेशन स्कीम ऑफ बी०आई०एस० (ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड) से आच्छादित है। अतएव सम्यक विचारोपरान्त गुणवत्ता एवं मानकों के निर्धारण विषयक उपर्यक्त निर्गत शासनादेशों में आई०एस०आई० मार्क की अनिवार्यता उल्लिखित है, उसे निरस्त किया जाता है।

3- चूँकि एल0ई0डी0 लाइटें कम्पल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम ऑफ बी.आई.एस. से आच्छादित है, अतः बी.आई.एस. रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता देखी जानी चाहिए।

4- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 20 नवम्बर, 2015, शासनादेश दिनांक 04 फरवरी, 2016 एवं शासनादेश दिनांक 03 सितम्बर, 2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,



(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 818(1) /नौ-8-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, नगरीय रोजगार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उत्तर प्रदेश।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ।
- 5- निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
- 8- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

3- चूँकि एल0ई0डी0 लाइटेँ कम्पल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम ऑफ बी.आई.एस. से आच्छादित है, अतः बी.आई.एस. रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता देखी जानी चाहिए।

4- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 20 नवम्बर, 2015, शासनादेश दिनांक 04 फरवरी, 2016 एवं शासनादेश दिनांक 03 सितम्बर, 2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 818(1) /नौ-8-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, नगरीय रोजगार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उत्तर प्रदेश।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ।
- 5- निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
- 8- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेयी)

विशेष सचिव।

W